

प्रेषक,
राकेश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
निबन्धक,
सहकारी समितियों, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 25 मार्च, 2011.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष से वाहन क्रय हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि व्यय करने पर सहमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक :1623/लेखा-अ, दिनांक 24-3-2011 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-591/49-3-2011-100(39)/2009, दिनांक 24-3-2011 को अवकमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1114/49-3-10-100(39)/2009, दिनांक 9-4-2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में आयोजनेत्तर पक्ष में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 783669 हजार आपके निवर्तन पर रखी जा चुकी है। लेखा शीर्षक " 2425-सहकारिता- आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण की मानक मद -14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कार-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 942 हजार के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से प्रस्तावित निष्प्रयोज्य जीप संख्या- यू0पी0एक्स0 9814 के स्थान पर निबन्धक, सह0 समि0, उ0प्र0 लखनऊ मुख्यालय हेतु एक नई नान ए0सी0 अम्बेसडर कार के क्रय किये जाने हेतु रू0 4,37,672/- का उपयोग नियमानुसार किये जाने पर इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जाती है कि विभाग यह सुनिश्चित कर लेगा कि वाहन का क्रय परिवहन विभाग के शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के अनुसार डी0जी0एस0एण्ड डी0 रेट पर ही किया जायेगा तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों में प्रदत्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-262(1)/दस-2011, दिनांक 25 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(राकेश कुमार)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-755(1)/49-3-2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
- 3- वेब मास्टर, कार्यालय निबन्धक, सह0 समि0 उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राकेश कुमार)
उप सचिव।



प्रेषक,
राकेश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2011.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-18 के अधीन आयोजनागत/
आयोजनेत्तर पक्ष के विभिन्न लेखा/उप लेखा शीर्षको की मानक मदों
में विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक :1357/लेखा-अ, दिनांक 4-3-2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1114/49-3-10-100(39)/2009, दिनांक 9-4-2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में आयोजनेत्तर पक्ष में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0783669हजार आपके निवर्तन पर रखा जा चुकी है। लेखा शीर्षक " 2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण की मानक मद -14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कार-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 942हजार के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से प्रस्तावित निष्प्रयोज्य जीप संख्या- यू0पी0एक्स0 9814 के स्थान पर निबन्धक, सह0 समि0,उ0प्र0 लखनऊ मुख्यालय हेतु एक नई नान ए0सी0 अम्बेसडर कार के क्रय किये जाने हेतु रू0 4,37,672/- का उपयोग नियमानुसार किये जाने पर इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जाती है कि विभाग यह सुनिश्चित कर लेगे कि वाहन का क्रय परिवहन विभाग के शासनादेश दिनांक 12नवम्बर,1986 के अनुसार डी0जी0एस0एण्ड डी0 रेट पर ही किया जायेगा तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों में प्रदत्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-551(1)/49-3-2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
- 3- वेब मास्टर,कार्यालय निबन्धक,सह0समि0उ0प्र0,लखनऊ।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(राकेश कुमार)
उप सचिव।



पत्रांश (अनु३)
Daly
24/3/11